

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 18-01-2023

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराध की रोकथाम तथा महिला सम्बन्धी अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान/निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल पर्यवेक्षण में व0उ0नि अशोक कुमार यादव थाना शाहपुर द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2023 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त संजय पाण्डे पुत्र केशव पाण्डे निवासी खरैया पोखरा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण- विपक्षी/अभियुक्त संजय पाण्डेय द्वारा वादिनी/पीडिता को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करना तथा पीडिता द्वारा शादी की बात कहने पर शादी से मना कर देना, जिस पर वादिनी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

संजय पाण्डे पुत्र केशव पाण्डे निवासी खरैया पोखरा थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 0038/2023 धारा 376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. व0उ0नि0 अशोक कुमार यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. का0 रोहित नाथ शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का0 उमाशंकर यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

थाना शाहपुर

=====≈≈=====≈=====

पीड़िता को भगाकर ले जाना व उसके साथ दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-

=====≈≈=====≈=====

डॉ० गौरव ग्रोवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा *"अपराध की रोकथाम व अपराधियों/वांछित की गिरफ्तारी" तथा महिला सम्बन्धी अपराध* के विरुद्ध चलाये जा रहे *अभियान/निर्देश* के क्रम में व *श्री कृष्ण कुमार विश्वाई,* पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व *श्री रत्नेश सिंह,* क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के कुशल पर्यवेक्षण में व *श्री रणधीर कुमार मिश्रा* प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक 20.10.2022 को *व०उ०नि शैलेन्द्र कुमार* थाना शाहपुर द्वारा श्रीमान् क्षेत्राधिकारी महोदय गोरखनाथ की प्राप्त हुकुम तहरीरी के आधार पर मु०अ०सं० 486/22 धारा 366,376,506 भादवि० व 3(2)V SC/ST Act से सम्बन्धित अभियुक्त *सूरज जायसवाल पुत्र हरी प्रसाद जायसवाल निवासी ग्राम बरगदही पोस्ट मछली गांव थाना कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर उम्र 20 वर्ष* को *असुरन चौराहे से* गिरफ्तार कर अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है ।

संक्षिप्त विवरण:- वादी श्री मृत्युञ्जय पुत्र स्व० सुर्यनाथ निवासी ग्राम थरुआडीह उत्तर टोला वार्ड नं०- 17 थाना हाटा जिला कुशीनगर की पुत्री (काल्पनिक नाम सोनिया) जो अपने नाना श्री चण्डी प्रसाद पुत्र स्व० रामवृक्ष निवासी गंगा टोला थाना शाहपुर गोरखपुर में रहकर पढ़ाई करती है, को दिनांक 31.08.2022 को विपक्षी द्वारा बहला फुसलाकर अपने साथ लखनऊ व कानपुर ले जाना तथा जबरदस्ती बलात्कार करना पुनः दिनांक 02.09.22 को रात्रि मे लगभग 12 बजे रोडवेज पर लाकर छोड़ देना , शिकायत करने पर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया जाना ।

गिरफ्तारी का स्थान /समय:- असुरन चौराहे से, समय 12.30 बजे दिनांक 20.10.2022 को ।

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण:-

1.मु०अ०सं० 486/22 धारा 366,376,506 भादवि० व 3(2)V SC/ST Act थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम :-

1. व०उ०नि० शैलेन्द्र कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
2. का० अरविन्द कुमार यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।
3. का० कमलेश कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर ।

